भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1176

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा से जॉब कार्डों का निरस्तीकरण

1176. श्री तनुज पुनिया:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

श्री हरीश चंद्र मीनाः

श्री रमाशंकर राजभर:

श्री मुरारी लाल मीनाः

डॉ. धर्मवीर गांधी:

सुश्री सयानी घोष:

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने जॉब कार्डधारकों को समय पर कार्य और भुगतान मिल रहा है, यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के उन कामगारों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके जॉब कार्ड 2019-20 से 2024-25 तक निरस्त किए गए थे, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित वर्षवार, राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित जॉब कार्डों को राज्यवार निरस्त किए जाने के कारण क्या हैं;

(घ) वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित 'काम करने को अनिच्छुक' के कारण हटाए गए कामगारों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने गलत तरीके से निरस्त किए गए जॉब कार्ड धारकों को बहाल करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी दरों में भारी अंतर होने के क्या कारण हैं और इसे एक समान बनाने के लिए उठाए गए कदमों और देश में मजदूरी दरों की गणना हेतु मौजूदा पद्धति में संशोधन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) जनवरी 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के लिए अपात्र पंजीकृत श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और जनवरी 2024 से देश भर में राज्यवार कुल कितने नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना प्रत्येक परिवार , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करती है। यह मांग आधारित योजना है जो बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध न होने पर एक विकल्प प्रदान करती है। अधिनियम के अधिदेश के अनुसार , लाभार्थी काम के मस्टर रोल के बंद होने से 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान पाने के हकदार हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में (07-02-2025 की स्थिति के अनुसार) मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर 98.34% निधि अंतरण आदेश जारी किए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत देश में सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या 13.44 करोड़ है।

(ख) से (घ): वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान (04.02.2025 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए गए थे, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

दौसा संसदीय क्षेत्र राजस्थान के अलवर , दौसा और जयपुर जिलों का भाग है। दौसा संसदीय क्षेत्र में सक्रिय श्रमिकों की संख्या जिनके जॉबकार्ड हटा दिए गए हैं , उनका विवरण निम्नानुसार है:

दौसा संसदीय क्षेत्र राजस्थान						
जिला	सक्रिय श्रमिकों जिनके जॉब कार्ड हटा दिए गए					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अलवर	0	0	1055	5860	3389	1234
दौसा	0	0	693	4908	2497	81

जयपुर	0	0	326	3716	6415	763

नरेगा सॉफ्ट में जॉब कार्ड हटाए जाने के आंकड़े गतिशील हैं। आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाए गए हैं , उनका राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायतवार विवरण तथा कारण नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://nreganarep.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx?lflag=eng&fin_year=2024-2025&source=national&labels=labels&Digest=O57D2k1AxQj89t4Y5xNiBg

इसी प्रकार , 2019-20 से 2023-24 तक के डेटा को नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट संख्या आर.5.1.1 के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास है। जॉब कार्डों को अद्यतन करना/हटाना राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। जॉब कार्ड मुख्य रूप से फर्जी/डुप्लिकेट/गलत जॉब कार्ड , ग्राम पंचायत से श्रमिकों का स्थायी रूप से पलायन और ग्राम पंचायत का ग्रामीण से शहरी में वर्गीकरण आदि कारणों से हटाए गए हैं।

(ङ.): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जॉब कार्डों को हटाने और बहाल करने के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और हटाने की शर्तों को परिभाषित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।

एसओपी में उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया है , जिसमें हटाए जाने के लिए चिह्नित जॉब कार्डों की मसौदा सूचियों का प्रकाशन , ग्राम सभाओं में सत्यापन और प्रभावित श्रमिकों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। इसमें डुप्लिकेट और धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए जॉब कार्ड को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थियों को वंचित न किया जाए। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा की

प्रमाणिकता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।

(च): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 6 (2) में प्रावधान है कि जब तक किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर तय नहीं की जाती है, तब तक कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर माना जाएगा। तदनुसार , अधिनियम की धारा 6 (2) के प्रावधान के अनुसार , योजना की शुरुआत से लेकर वित्तीय वर्ष 2010-11 तक, महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी। तथापि , वित्तीय वर्ष 2011-12 से, भारत सरकार ने कृषि श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एल) का उपयोग करके मजदूरी दरों का निर्धारण करना शुरू कर दिया।

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एल) में परिवर्तन के आधार पर हर वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर में संशोधन करता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा अधिसूचित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सूचकांक अलग-अलग है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की गणना की गई मजदूरी दर पिछले वर्ष की मजदूरी दर से कम आ रही है , तो उसे पिछले वर्ष की मजदूरी दर को बनाए रखकर संरक्षित किया जा रहा है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी दर में कुल % वृद्धि लगभग 7% है।

हालाँकि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

(छ): अभी तक, कुल 13.36 करोड़ आधार को नरेगा सॉफ्ट में जोड़ा जा चुका है , जो कुल सक्रिय श्रमिकों (13.44 करोड़) का 99.47% है। इसके अलावा , कुल 12.96 करोड़ सक्रिय श्रमिकों (96.45%) को आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) से जोड़ा जा चुका है। 01.01.2024 से 06.02.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1176 के भाग (ख) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (04.02.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए गए थे उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (आंकड़े संख्या में) (नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सक्रिय श्रमिकों की संख्या जिनके जॉब कार्ड हटा दिए गए है					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	0	0	4	6	10	26
2	आंध्र प्रदेश	0	0	10654	256678	154658	79837
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	703	4006	8955	8414
4	असम	0	0	25741	82953	154262	379789
5	बिहार	0	0	197417	1183405	203384	251529
6	छत्तीसगढ़	0	0	20271	116583	249202	66524
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव					0	0
8	गोवा	0	0	0	4	3	10
9	गुजरात	0	0	17274	69476	88558	15408
10	हरियाणा	0	0	4009	7883	4202	2759
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	1427	7458	9569	2953
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	5101	20782	50591	22542
13	झारखंड	0	0	78708	259989	163406	151852
14	कर्नाटक	0	0	28752	158752	58166	14400
15	केरल	0	0	1295	5730	21418	2602
16	लद्दाख	339	1033	206	734	470	236
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	0	2	935912	495850	896927	55013
19	महाराष्ट्र	0	0	6843	71428	21646	13281
20	मणिपुर	0	0	305	998	3904	3636
21	मेघालय	0	0	657	3433	16976	10907
22	मिजोरम	0	0	4405	3228	4173	8871
23	नागालैंड	0	0	1778	1864	3191	8130

24	ओडिशा	0	7	339454	520051	262216	222441
25	पुदुचेरी	0	0	9	110	134	146
26	पंजाब	0	0	14720	90601	24089	7947
27	राजस्थान	0	0	23681	153981	214454	24614
28	सिक्किम	0	0	263	449	753	550
29	तमिलनाडु	0	2	21996	128553	146106	77193
30	तेलंगाना	3	39	2212	159995	40720	30152
31	त्रिपुरा	0	0	1971	2767	13201	5795
32	उत्तर प्रदेश	0	0	154326	1127994	608107	26209
33	उत्तराखंड	0	0	3014	12791	20577	16789
34	पश्चिम बंगाल	0	0	5921	506981	40663	2309
	कुल	342	1083	1909029	5455513	3484691	1512864

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1176 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

01.01.2024 से 06.02.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी किए गए कुल जॉब कार्ड**
1	अंडमान और निकोबार	350
2	आंध्र प्रदेश	308475
3	अरुणाचल प्रदेश	33064
4	असम	242645
5	बिहार	2095472
6	छत्तीसगढ़	246609
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4716
8	गोवा	501
9	गुजरात	346973
10	हरियाणा	47583
11	हिमाचल प्रदेश	47616
12	जम्मू और कश्मीर	60174
13	झारखंड	495882
14	कर्नाटक	192729
15	केरल	99041
16	लद्दाख	846
17	लक्षद्वीप	4
18	मध्य प्रदेश	483816
19	महाराष्ट्र	1132895
20	मणिपुर	18997
21	मेघालय	27739
22	मिजोरम	11009
23	नागालैंड	19559
24	ओडिशा	431092

25	पुदुचेरी	2874
26	पंजाब	98222
27	राजस्थान	435982
28	सिक्किम	1694
29	तमिलनाडु	176873
30	तेलंगाना	133805
31	त्रिपुरा	14334
32	उत्तर प्रदेश	1202042
33	उत्तराखंड	26840
34	पश्चिम बंगाल	2688
कुल		**84,43,141**

****